



झारखण्ड सरकार  
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

॥ संकल्प ॥

**विषय:-** राजस्व संवर्द्धन, अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण एवं मदिरा के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त मदिरा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मदिरा के बोतलों/सैचेट्स/कैनस पर चिपकाये जानेवाले एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति, मनोनयन के आधार पर लब्धप्रतिष्ठित प्रतिष्ठान भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व), नासिक रोड, महाराष्ट्र से प्राप्त करने के संबंध में ।

राजस्व संवर्द्धन, अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखण्ड उत्पाद (होलोग्राम) नियमावली, 2011 का गठन किया गया था । इस नियमावली के तहत होलोग्राम की आपूर्ति करने के लिए विभाग द्वारा दो बार निविदा प्रकाशित की गई थी, परन्तु निविदा की प्रक्रिया को दोनों बार निरस्त करना पड़ा । इसी बीच भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार पूर्ण स्वामित्व), नासिक रोड, महाराष्ट्र द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल आपूर्ति करने का प्रस्ताव विभाग को दिया गया । भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वर्तमान में एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल पंजाब राज्य के उत्पाद विभाग को आपूर्ति की जा रही है तथा यदि झारखण्ड राज्य भी एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से आपूर्ति प्राप्त करने का निर्णय करता है, तो वे एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं ।

दिनांक-24.03.2015 को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रबन्धक (तकनीकी) के साथ विभागीय पदाधिकारियों एवं एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के संबंध में तकनीकी रूप से विशेष ज्ञान रखनेवाले वैज्ञानिक डॉ० मनीष कुमार के साथ बैठक की गई । बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रतिनिधि के द्वारा झारखण्ड राज्य को सुरक्षा मानकों से युक्त एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति हेतु आश्वस्त किया गया । साथ ही भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सभी एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल, नासिक रोड, महाराष्ट्र स्थित उनके सिक्यूरिटी प्रेस में ही मुद्रण कराया जाएगा ताकि अधिकतम गोपनीयता रखी जा सके ।

अतः उक्त के आलोक में उत्पाद राजस्व संवर्द्धन, अवैध शराब बिक्री की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं के शोषण पर रोक के उद्देश्य से देशी शराब/मसालेदार देशी शराब एवं विदेशी शराब के बोतलों/सैचेट्स/कैनस पर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाने हेतु निम्न प्रकार से राज्य सरकार ने निर्णय लिये हैं :-

1  
2

1- राजस्व हित, मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-245 के अधीन वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुये मनोनयन के आधार पर भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व), नासिक रोड, महाराष्ट्रा से झारखण्ड राज्य में बिक्री किये जानेवाले बोतलों/सैचेट्स/कैनस पर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाने हेतु प्राप्त किया जाए ।

2- झारखण्ड उत्पाद होलोग्राम (संशोधित) नियमावली, 2014 को शिथिल करते हुए 'भारत प्रतिभूति मुद्रणालय' से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल प्राप्त किया जाए ।

3- भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा निर्मित एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को झारखण्ड राज्य में देशी शराब, मसालेदार देशी शराब एवं विदेशी शराब के थोक बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त अनुज्ञाधारी (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड) द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा मूल्य का भुगतान भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा ।

4- भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन), नासिक रोड, महाराष्ट्रा के माध्यम से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल प्राप्त करने तथा इसके मदिरा के बोतलों पर चिपकाये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

(i) इस व्यवस्था के तहत भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को की जाएगी, तदुपरान्त झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को मदिरा के बोतल/सैचेट/कैन पर चिपकाने के लिए सभी वितरकता अनुज्ञापिधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञापिधारी को उनके माँग के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएगी । वितरकता अनुज्ञापिधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञापिधारी स्वयं के जोखिम पर इसे अपने विनिर्माणशाला में भेजकर मदिरा के बोतल/सैचेट/कैन पर चिपकवा सकेंगे ।

(ii) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की तकनीकी विशिष्टियों के निर्धारण हेतु इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस के पदाधिकारी एवं विभाग द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की बैठक आयुक्त उत्पाद की अध्यक्षता में की जाएगी । तकनीकी विशिष्टियों के संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा । समय-समय पर विभाग द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की समिति के परामर्श के अनुरूप एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की तकनीकी विशिष्टियों में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा । इसी बैठक में एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का अंतिम मूल्य भी निर्धारण किया जायेगा ।

(iii) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के सुरक्षित रख-रखाव के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अलग से 'एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार' किराये पर अथवा किसी

